2024/637

फर्द अहकाम

खारीज
14-01-2025

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

देवीलाल बनाम कलावती आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 168 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.09.2024	प्रार्थी देवीलाल की तरफ से वकील श्री विनोदकुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा रतनादेसर के ख.नं. 126, 265, 267, 275, 287, 306/287 की 26.185 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.10.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
23/10/2024	बार संघ का कार्य स्थगन होने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/2024 को पेश हो। [signature]	
19.12.24	[illegible] उपस्थित/PU मा[illegible] अवकाश पर हैं। पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 14.1.2025 को पेश हो [signature]	
14.1.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करते पर पत्रावली को पेशी में। [illegible] निवेदन किया कि राजीनामा होने के कारण [illegible] आगे नहीं चलाना चाहते है। [illegible] में खारीज करवाना चाहते है। प्रार्थना-पत्र मौजूदा [illegible] में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कीजाकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	Not press राजीनामा होगया है [illegible] चलाना नहीं चाहते है [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.22 12:27:45 IST
Reason: SelfAttested